बिट्टू टिक्की वाले ने सिद्ध कर दिया

नगर निगम का है नारा, लूटना खाना है अधिकार हमारा

फ़रीदाबाद (म.मो.) राजनीतिक संरक्षण में नगर निगम अधिकारी शहर को लूट कर खा रहे हैं, यह किसी से छिपा तो कभी नहीं था, परन्तु ऐसा भी राज आयेगा जब इतने खुले तौर पर चौड़े में भी खाने लगेंगे, किसी ने सोचा तक नहीं था।

दिनांक 22 दिसम्बर को मेयर के सरकारी आवास के निकट नये-नये खुले बिट्टू टिक्की वाले रेस्तरां को सील करने नगर निगम की टीम पूरे दल-बल के साथ आ पहुंची। सीलिंग करते-करते ही रेस्तरां मालिक का 'सौदा' किसी राजनेता अथवा उच्चाधिकारी से तय हो गया। सीलिंग टीम को फ़ोन आया और वह आधी-अधूरी सीलिंग बीच में ही छोड़ कर चल दिये। मीडिया ने शोर मचाया तो अगले ही दिन टीम ने आकर पूरी सीलिंग कर दी। मीडिया ने अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन 27 दिसम्बर को ही पूरी सील हटा कर रेस्तरां को चलने की इजाजत मिल गयी।

रेस्तरां पर आरोप यह था कि उसे रिहायशी मकान में चलाया जा रहा था विदित है कि एनआईटी (शहर) का करीब 80 प्रतिशत बाज़ार पचासों बरस से रिहायशी मकानों में ही चल रहा है। और तो और इस बिट्टू रेस्तरां की बगल में ही चिकन 83 के नाम से जो रेस्तरां चल रहा है, वह भी तो एक रिहायशी मकान में ही है। लेकिन उससे नगर निगम को कोई तकलीफ़ नहीं थी। जाहिर है चिकन 83 की तरह बिट्टू वाले ने नगर निगम से इस काम के लिये विधिवत 'सौदा' तय नहीं किया था। अब 'सौदा' तय हो जाने के बाद इसे खोल दिया गया है 'सौदा' तय होने और पेमेंट के बीच भी अन्तर होता है। पहले दिन अधूरी सीलिंग के वक्त 'सौदा' तो तय हो गया होगा लेकिन सौदे की पेमेंट पूरी न आने से अगले ही दिन पूरी सीलिंग कर दी गयी थी।

फ़िलहाल अस्थाई तौर पर सीलिंग खोलने का आदेश मंडलायुक्त डी. सुरेश ने जारी किया है। विदित है कि फ़रीदाबाद के अलग मंडल बन जाने के बावजूद गुड़गांव मंडल के आयुक्त सुरेश को ही यहां का ठेका अतिरिक्त रूप से दिया गया है। लूट कमाई करने में अपनी महारत का अच्छा-खासा प्रदर्शन सुरेश यहां बतौर 'हूडा' प्रशासक तथा नगर निगमायुक्त करके दिखा चुके हैं। उनकी इसी महारत को देखते हुए मुख्यमंत्री खट्टर की स्वीकृति से उनके प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने उन्हें यहां तैनात किया है। बतौर निगमायुक्त खुल्लर ने भी कभी यहां लूट-कमाई के अच्छे-खासे कीर्तिमान स्थापित किये थे। इसी लिये सुरेश उनकी पहली पसंद बने हुए हैं। इसीलिये खट्टर ने भी मुख्यमंत्री बनते ही, प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात खुल्लर को हरियाणा में बुला कर धंधें पर लगा लिया।

शहर की जनता को स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधायें देने के लिये बने नगर निगम के पास व्यापक अधिकार हैं। इनके द्वारा वह शहरियों से मनचाहा टैक्स वसूलती है। शहर भर में लाखों करोड़ की जायदादें नगर निगम के नियंत्रण में हैं जिन्हें वह वक्त-बेवक्त बेचती रहती है। इसके अतिरिक्त हज़ारों करोड़ की ग्रांटें किसी न किसी नाम पर राज्य व केन्द्र सरकार से निगम को मिलती रहती हैं। इसके बावजूद निगम के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक का टोटा पड़ा रहता है।

नगण्य नागरिक सुविधाओं के बावजूद सारा धन जाता कहां है, यह सारी जनता देख रही है। इतना ही नहीं इस लूट के अलावा तोड़-फ़ोड़ के नाम पर जिस तरह से जनता को डराया व लूटा जाता है उसकी कमाई का तो कोई हिसाब ही नहीं। बिट्टू रेस्तरां तो उस लूट-कमाई का मात्र एक छोटा सा उदाहरण है।

ऐसा नहीं कि यह लूट-कमाई केवल निगम के अधिकारी अपने बलबूते पर ही करते हैं। यह सब राजनेताओं के संरक्षण एवं हिस्सा-पत्ती के बल पर होता है। पार्षद से लेकर विधायक, सांसद व मंत्री सभी अपनी-अपनी औकात के अनुसार इस खेल में शामिल रहते हैं। इस खेल को अपने अनुकूल चलाने के लिये अपनी पसंद के 'खास' अधिकारियों को ही यहां नियुक्त किया जाता है। यदि ऐसा 'खास' कोई न मिले तो पद को खाली भी रखा जाता है।

दिवाली का जुआ केसः थाना कोतवाली के 'निर्दोष' पुलिसिये निलम्बित

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिवाली के दिन जुआ खेले जाने की मुखबरी पाकर थाना कोतवाली के सब इन्स्पेक्टर प्रदीप ने तुर्त-फुर्त कुछ पुलिस-कर्मियों को लेकर छापा मारा। मौके से कुल 543100 (5 लाख 43 हज़ार एक 100) रुपये बरामद हुए और कुल 23 जुआरी गिरफ्तार करके थाने में लाये गये। कानून के मुताबिक तमाम जुआरियों को थाने से ही तुरंत जमानत पर छोड़ दिया गया। करीब 10-15 दिन बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कोर्ट द्वारा लगाया जुर्माना भर दिया। पकड़ी गयी रकम सरकारी खजाने में जमा हो गयी।

बाद में पकड़े गये तिलक नामक एक जुआरी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जुआ स्थल से पकड़ी गयी कुल रकम 543100 नहीं बल्कि 9 लाख थी।

शराब व्यापारी टंडन की अवैध शराब बेचने वाले इस तिलक ने यह आरोप, टंडन द्वारा बुलाई गयी एक प्रेस वार्ता में टंडन के कहने पर लगाया था। तिलक ने इस बात को खुद स्वीकार किया है। टंडन ने तिलक से यह झूठ इस लिये बुलवाया था कि कोतवाली पुलिस ने जुए का मौका होटल अभिनंदन में न दिखा कर उसके मालिक (लीज़ होल्डर) उत्तम अरोड़ा को बख्श दिया जबकि टंडन चाहता था कि वह भी लपेटे में आये। विदित है कि टंडन आजकल विधायक सीमा त्रिखा व सांसद (मंत्री) कृष्णपाल गूजर की शरण में है और उत्तम उद्योग मन्त्री विपुल गोयल के खेमें में है।

आरोप की जांच एनआईटी की तत्कालीन डीसीपी आस्था मोदी को सौंपी गयी। उन्होंने जांच पड़ताल के बाद पुलिस पर लगे आरोप को झूठा पाकर अपनी रिपोर्ट सीपी को सौंप दी। लेकिन राजनीतिक जुगाड़बाजी के चलते सीपी ने पुनः जांच के आदेश दिये। इस बार जांच नये आये डीसीपी कृतपाल सिंह ने करके सब-इन्स्पेक्टर प्रदीप सहित तीन पुलिस-कर्मियों को दोषी ठहरा कर उन्हें निलम्बित भी कर दिया। कयास है कि यह राजनीतिक दबाव में करना पड़ा।

जुआ अधिनियम के प्रावधान बड़े अजीबों-गरीब हैं। पहली बात तो यह कि किसी इमारत में जुआ खेलना कोई अपराध नहीं। अपराध है तो केवल जुए से निकलने वाली नाल। यानी जुआरियों से जुआ खेलने के एवज में कमीशन लेने की सूरत में ही यह अपराध बनता है जो जमानती है। यानी

आरोप की जांच एनआईटी की तत्कालीन डीसीपी आस्था मोदी को सौंपी गयी। उन्होंने जांच पड़ताल के बाद पुलिस पर लगे आरोप को झूठा पाकर अपनी रिपोर्ट सीपी को सौंप दी। लेकिन राजनीतिक जुगाड़बाजी के चलते सीपी ने पुनः जांच के आदेश दिये। इस बार जांच नये आये डीसीपी कृतपाल सिंह ने करके सब-इन्स्पेक्टर प्रदीप सहित तीन पुलिस-कर्मियों को दोषी ठहरा कर उन्हें निलम्बित भी कर दिया। कयास है कि यह राजनीतिक दबाव में करना पड़ा।

पकड़े जाने पर पुलिस को तुरंत जमानत पर छोड़ना होता है और अदालत मामूली जुर्माना लगा कर जुआरियों को छोड़ देती है।

दूसरी बात यह कि मुखबरी मिलने पर सामान्य पुलिस किसी इमारत-घर, होटल, दफ़्तर या दुकान आदि में घुसकर जुआरियों को नहीं पकड़ सकती। जुआ अधिनियम के तहत किसी इमारत में घुसने से पहले उसे अपने उच्चाधिकारियों से लिखित स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। जाहिर है, मुखबरी मिलने के बाद यदि कोई थानेदार स्वीकृति लेकर आयेगा तब तक तो जुआरी खेल-कूद कर फ़ारिग भी हो चुके होंगे और थानेदार पर इल्जाम यह लगेगा कि वह जुआरियों से मिला हुआ था, जुआ खिलाने वालों से थानेदार की मंथली बंधी थी आदि-आदि।

उक्त आरोप से बचने के लिये पुलिस 'ग़ैरकानूनी' तौर पर किसी भी इमारत में घुस का जुआरियों को दबोच लेती है। लेकिन कागज़ों में दिखाती है कि वे अमुक चौराहे या पार्क आदि सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेल रहे थे। सार्वजनिक स्थल पर जुआ के अपराध के लिये 'नाल' निकलना जरूरी नहीं, केवल जुआ खेलना ही अपराध बन जाता है। इतना ही नहीं बड़ी रकम व अधिक जुआरी हों तो पुलिस उन्हें आवश्यकतानुसार दो या तीन या चार स्थानों से पकड़ा भी दिखाती है ताकि कई केस बन सकें। यह तथ्य उच्चाधिकारियों तथा न्यायपालिका सहित सबको हमेशा से मालूम है, फ़िर भी यही चला आ रहा है, कोई इस व्यवस्था में सुधार नहीं करना चाहता।

जुआ पकड़ते वक्त कोई मजिस्ट्रेट तो साथ होता नहीं। केवल पकड़ने वाले पुलिसकर्मी व पकड़े जाने वाले जुआरी ही मौके पर मौजूद होते हैं। मौके से पकड़ी गयी रकम कभी भी जुआरियों को तो मिलती नहीं। केस दर्ज होने पर वह रकम जायेगी राजकोष में। हां, यदि जुआरी और पुलिस मिलकर समझौता कर लें तो पकड़ी गयी रकम को पुलिस डकार लेगी और बदले में बिना केस दर्ज किये जुआरियों को छोड़ देगी। इससे जुआरी थाने व अदालत जाने से होने वाली दिक्कत व बदनामी से बच जाते हैं।

मौजूदा केस में यदि पुलिस को रकम डकारनी होती तो वह केस दर्ज करने के झंझट में ही क्यों पड़ती, बाहर की बाहर केस को निपटा कर मूछों पर हाथ फ़ेर लेती। अब चूंकि पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया, पकड़ी गयी रकम भी जब्त हो गयी, पकड़े जाते वक्त या थाने में लाने के बाद 2-4 थप्पड़-चट्टू भी लगे होंगे ओर कोर्ट में पेश होकर जुर्माना भी भरना पड़ा। यानी सारे खेल में जुआरियों की परेड ही नहीं बदनामी भी हो गयी। उनकी तथाकथित इज्ज़त का जलूस निकल गया। ऐसे में जुआरियों के पास, पुलिस से बदला लेने का केवल एक ही रास्ता बचता है कि पुलिस ने पकड़ी गयी रकम कम दिखा कर मोटी रकम खुद डकार ली। इस तरह का आरोप पुलिस पर न तो पहली बार लगा है न आखरी बार, हमेशा से ही लगते रहे हैं और लगते रहेंगे।

मजे की बात तो यह भी है कि इस मामले में किसी भी जुआरी ने कोई शिकायत किसी से नहीं की, कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर जुर्माना भुगत कर फ़ारिग हो गये। किसी भी जांच अधिकारी ने जुआ पकड़ने गये 13 पुलिसकर्मियों में से किसी का भी कोई बयान दर्ज नहीं किया है। इस सबके बावजूद उक्त 3 पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया जाना केवल विभागीय अधिकारों का दुरूपयोग ही तो है।

सीपी हनीफ़ कुरैशी के लिये पुलिसकर्मियों को निलम्बित करना इसलिये जरूरी था कि मामा श्री एवं अन्य राजनेताओं के संरक्षण में बड़ी-बड़ी डकैतियां मारने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तो वे कुछ करने की स्थिति में हैं नहीं, और यदि कभी जाने-अनजाने वे कुछ कर भी बैठें तो प्रभावशाली नेता उन्हें थूक कर चाटने पर विवश कर देते हैं। ऐसे में सीपी साहब अपनी ताकत का रौब किस पर दिखायें; जाहिर है ऐसे लावारिसों पर ही दिखा सकते हैं।

खट्टर सरकार मेहरबान तो लुटेरा बिल्डर पहलवान

केएलजे डेवेलपर्स ने अपराध छिपाने हेतु कानूनी नोटिस भेजा

मज़दूर मोर्चा (फ़रीदाबाद ब्यूरो) जब शहर कोतवाल कमजोर हो या बिका हुआ हो तो उच्चकों की बन आती है। आम शहरी की तो बिसात ही क्या, ये गिरोह मीडिया और अफ़सरों को भी धौंस-पट्टी में लेने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर नामक कोतवाल के राज में बदमाश बिल्डरों का कुछ ऐसा ही हाल हो चला है।

इस पाक्षिक अखबार के 16-30 नवम्बर 2017 अंक में केएलजे डेवेलपर्स के द्वारा केएलजे ग्रीन्स में रहने वाले 100 फ्लैट मालिकों को जम कर निचोड़ते रहने पर विस्तार से लिखा गया था। तमाम फ्लैट बेच कर अपना मोटा मुनाफ़ा वसूलने के बाद भी यह बिल्डर मेन्टेनेंस के नाम पर अनाप-शनाप वसूली करता है। फ्लैट मालिकों को बंधुआ किरायेदार की हैसियत में रख कर यह ब्लैक मेलिंग और फ़िरौतीबाजी पर उतारू रहता है।

कॉलोनी की तमाम सामुदायिक सुविधाओं पर भी बिल्डर ने अपना एकाधिकार नहीं छोड़ा है। इसकी आड़ में वह फ्लैट मालिकों से मनमानी लूट करता है। बिजली बिल वसूलने के नाम पर बिना किसी आधार के, सप्लाई रोक देने की धमकी के साथ उसका फ़िरौती का खेल चलता रहता है।

अब उपरोक्त बिल्डर ने किसी संजीव सिंह राव नामक वकील के माध्यम से इस अखबार के सम्पादक प्रकाशक सतीश कुमार को नोटिस भेजा है कि 'देवता स्वरूप' उपरोक्त बिल्डर से बिना शर्त माफ़ी मांगी जाय क्योंकि बिल्डर की शोहरत को बट्टा लगा है।

कहने की जरूरत नहीं कि केएलजे डेवेलपर्स जैसे जोंक बिल्डरों की 'चोरी और सीनाजोरी' वाली यह अदा उनके अहसानों तले दबी सरकार के सहयोग से ही सम्भव है। कहते हैं खट्टर साहब खुद तो बिकने-बिकाने में विश्वास नहीं करते। लेकिन उनके डांवाडोल रथ की लगाम आरएसएस के हाथ में है और उनके घोड़े (मन्त्री) मोटा चारा खाने में सिद्धहस्त हैं

एक ओर मोदी सरकार के शहरी विकास मन्त्री हरदीप पुरी बार-बार दोहरा रहे हैं कि बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने वाला 'रेरा' कानून सभी बिल्डरों पर अविलम्ब लागू किया जाय। दूसरी ओर खट्टर सरकार नियम बना रही है कि यह कानून केवल भावी बिल्डरों पर ही लागू हो। इससे केएलजे बिल्डर जैसे हज़ारों मौजूदा बिल्डरों को लूट और फ़िरौती की खुली छूट मिल गयी है और लाखों उपभोक्ता उनके हाथों लुटने को मजबूर हैं।

वकील संजीव सिंह राव की मार्फ़त भेजे गये नोटिस में माना गया है कि केएलजे बिल्डर सुविधायें देने के नाम पर फ्लैट मालिकों से मेन्टेनेंस चार्ज वसूल रहा है। सवाल है कि कौन सा कानून उसे इस तरह की जबरदस्ती करने की इजाजत देता है? फ्लैटधारक यह काम स्वयं करने को स्वतंत्र क्यों नहीं?

नोटिस में यह भी दावा किया गया है कि बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज, सुरक्षा, सामुदायिक भवन इत्यादि की संतोषजनक व्यवस्था की हुई है। सवाल बनता है कि अगर व्यवस्था संतोषजनक है तो तमाम फ़्लैटधारकों ने बिल्डर के खिलाफ़ विद्रोह का बिगुल क्यों बजाया हुआ है?

इन हालात में **'मज़दूर मोर्चा'** वकील संजीव सिंह राव के मार्फ़त केएलजे बिल्डर्स के नोटिस को पूरी तरह शरारतपूर्ण और आपराधिक कारगुजारी पर पर्दा डालने वाला मानता है। यह अखबार हमेशा की तरह अपने पाठकों के हितों के लिये संघर्षरत रहने का निश्चय मौजूदा मामले में भी दोहराने को बाध्य है।

नोटिस में बिल्डर की शौहरत पर बट्टा लगने की जो बात कही गयी है, उसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि बट्टा उनको ही लगता है जिनकी कोई शौहरत होती हो। तो बिल्डर साहब, पहले शौहरत तो पैदा करो फ़िर बट्टे की सोचो।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06